



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No. 330]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASHADHA 13, 1935

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

( युवा कार्यक्रम विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

सा.का.नि. 461(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (2012 का 35) की धारा 32 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के लिए, निम्नलिखित प्रथम परिनियम की विरचना करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस परिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 2013 का प्रथम परिनियम है।

2. परिभाषाएं :

(1) इस प्रथम परिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;
- (ख) "नियुक्त प्राधिकारी" से प्रथम परिनियम 17 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "प्राधिकारी" और "अधिकारी" से संस्थान के संबंध में क्रमशः संस्थान के प्राधिकारी और अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "भवन और कार्य समिति" से प्रथम परिनियम 11 के अधीन गठित संस्थान की भवन और कार्य समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "केन्द्र" से संस्थान के संबंध में इस परिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगी संस्थान की कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (च) "अनुशासनात्मक प्राधिकारी" से प्रथम परिनियम 18 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "विभाग" से संस्थान के संबंध में इस परिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगी संस्थान की कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (ज) "संस्थान" से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अभिप्रेत है;
- (झ) "कार्यक्रम" से संस्थान का कोई कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (ट) "अनुसूची" से इस परिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ठ) "केन्द्रीय सरकार" से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं;

(3) प्राधिकरण : संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

- (क) अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा स्थापित कार्य परिषद;
- (ख) अधिनियम की धारा 16 के अधीन यथा गठित विद्या परिषद;
- (ग) अधिनियम की धारा 18 के अधीन यथा गठित वित्त समिति;
- (घ) प्रथम परिनियम 12 के अधीन यथा गठित भवन और कार्य समिति;

4. कार्य परिषद् और इसकी बैठकें:- प्रथम परिनियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट कार्य परिषद् के प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट या निर्वाचन के पात्र निकायों को रजिस्ट्रार द्वारा जारी ऐसे आमंत्रण की तारीख से छह सप्ताह की अनाधिक अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

(2) कार्य परिषद् की आकस्मिक रिक्तियों को उप-परिनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भरा जाएगा ।

(3) किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान कार्य परिषद् की सामान्यतः चार बैठकें होंगी ।

(4) कार्य परिषद् की बैठकों का आयोजन अध्यक्ष की स्वप्रेरणा से अथवा निदेशक के अनुरोध पर अथवा कार्य परिषद् के कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर किया जाएगा ।

(5) कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति होने के लिए केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होंगे और केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है, तो इसका आयोजन अगले सप्ताह, उसी दिन समय और स्थान अथवा अध्यक्ष द्वारा अवधारित किसी अन्य दिन, समय और स्थान पर होगा, और यदि ऐसी बैठक में, किसी बैठक आयोजन के लिए अनुसूचित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती, तो उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति की जाएगी ।

(6) कार्य परिषद् की बैठक में विचार के सभी प्रश्नों पर विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, और यदि मतों की संख्या समान रूप से विभाजित होती है, तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा ।

(7) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा ।

(8) रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी, जिसमें बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट होगा ।

परंतु अध्यक्ष आवश्यक मुद्दों पर विचार के लिए कार्य परिषद् की विशेष बैठक अल्प सूचना पर बुला सकेगा ।

(9) सूचना दस्ती अथवा रजिस्ट्री डाक अथवा ईमेल अथवा फैंक्स द्वारा कार्य परिषद् के कार्यालय में अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजी जाएगी, और सूचना यदि, इस प्रकार भेजी जाती है तो ऐसे भेजी गई सूचना को डाक के साधारण अनुक्रम में भेजी गई सूचना के समय पर सम्यक रूप से परिदत्त की गई समझा जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रार द्वारा बैठक की कार्यसूची सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले परिचालित की जाएगी ।

(11) कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव की सूचना बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए :

परंतु अध्यक्ष किसी ऐसी मद को कार्यसूची में सम्मिलित करने को अनुज्ञात कर सकेगा जिसके लिए सम्यक रूप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(12) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों पर अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होगी।

(13) कार्य परिषद् की किसी बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा तथा सुझाए गए किसी संशोधन के साथ उसे अगली बैठक में पुष्टि के लिए कार्य परिषद् के समक्ष रखा जाएगा और कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर के बाद, इन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा।

(14) कार्यवृत्त-पुस्तिका कार्यालय समय के दौरान सभी समय कार्य परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

(15) वित्त से संबंधित किसी भी विषय को तब तक कार्य परिषद् के सम्मुख नहीं रखा जाएगा, जब तक कि उस पर वित्त समिति द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो।

(16) कोई भी विषय पहले भवन और कार्य समिति द्वारा विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए, तब तक कार्य परिषद् के समक्ष रखा नहीं जाता जब तक कि कार्य परिषद् के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भवन और कार्य समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

(17) यदि कार्य परिषद् का कोई सदस्य परिषद् से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, वह परिषद् का सदस्य होने के विरत हो जाएगा।

5. कार्य परिषद् की शक्तियां :- अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त कार्य परिषद् निम्नलिखित के लिए सशक्त होगी :-

(क) अधिनियम में यथा उपबंधित है, परिनियम बनाने, परिवर्तन करने, उपांतरित अथवा विखंडन करना;

(ख) अधिनियम और परिनियम में यथा उपबंधित वित्त समिति अथवा कार्य परिषद् की सिफारिश पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार के निर्माण, संशोधन और निरसन से अधिनियम और परिनियमों का उल्लंघन न होता हो, सभी या किसी अध्यादेश को बनाना, उपांतरित करना या विखंडित करना ;

(ग) संस्थान के प्रभावी रूप से काम करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नए खंड, केंद्र और विभाग स्थापित करने और इसके प्रभावी निष्पादन के लिए विद्यमान खंडों, केंद्रों और विभागों का फिर से नाम रखना।

6. कार्य परिषद् के आदेशों का अधिप्रमाणन :-

कार्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों को निदेशक या रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त में कार्य परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।



## 7. विद्या परिषद् :-

- (1) विद्या परिषद् संस्थान का मुख्य विद्या और कार्यक्रम सलाहकार निकाय होगा ।
- (2) विद्या परिषद् की पदावधि और उसके प्रत्येक सदस्य की रिक्तियों को भरने संबंधी प्रक्रिया अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् के सदस्यों के लिए यथा उपबंधित रूप में होगी ।
- (3) विद्या परिषद् के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित करने के पात्र निकायों को रजिस्ट्रार द्वारा जारी आमंत्रणों की तारीख से छह सप्ताह की अवधि में किसी अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।
- (4) विद्या परिषद् की बैठक का आयोजन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा, परंतु सामान्यतः किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान इसकी बैठक दो से कम नहीं होगी ।
- (5) विद्या परिषद् की बैठकों का आयोजन विद्या परिषद् के अध्यक्ष की स्वप्रेरणा से अथवा विद्या परिषद् के कम से कम ¼ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्येपक्षा पर किया जाएगा ।
- (6) अध्येपक्षा पर आयोजित होने वाली बैठक को विशेष बैठक कहा जाएगा जिसमें कार्यसूची की केवल उन्हीं मदों पर चर्चा होगी जिनके लिए अध्येपक्षा दी गई हो और अध्येपक्षा पर होने वाली बैठक विद्या परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सुविधाजनक तारीख और समय पर बुलाई जाएगी ।
- (7) विद्या परिषद् किसी बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, सहित विद्या परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों का होना अनिवार्य है ।
- (8) निदेशक द्वारा विद्या परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ।
- (9) रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यसूची सहित लिखित सूचना, विद्या परिषद् के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व परिचालित की जाएगी ।

परंतु विद्या परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किसी ऐसी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, जिसके लिए सम्भव रूप से सूचना नहीं दी गई हो ।

- (10) उपर्युक्त उप-परिनियम (5) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, तत्काल अथवा विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए निदेशक अल्पसूचना पर विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक बुला सकेगा।
- (11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों पर विद्या परिषद् के अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होगी ।
- (12) विद्या परिषद् की किसी बैठक की प्रक्रिया का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और परिषद् के सभी सदस्यों में परिचालित किया जाएगा ।
- (13) संशोधन सहित कार्यवृत्त यदि कोई हों, के साथ दिए गए सुझावों को पुष्टि के लिए विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाएगा और कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात और विद्या परिषद् के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा और यह विद्या परिषद् और कार्य परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान हर समय उपलब्ध रहेगी ।

8. विद्या परिषद् की शक्तियां : अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

- (i) अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का बनाना, अनुमोदन और संशोधित करना;
- (ii) परामर्शदात्री परिषदों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलापों के विषयवस्तु का अनुमोदन करना ;
- (iii) परीक्षाओं के आयोजन परीक्षकों, माडरेटरों, टैबुलेटरों की नियुक्ति और परीक्षाओं से संबंधित अन्य मामले के लिए समुचित उपबंध करना;
- (iv) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियां या अधिकारियों को नियुक्त करना तथा डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान या उपाधि प्रदान करने के संबंध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना ;
- (v) विद्या परिषद् के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों और बाहर के विशेषज्ञ, जो ऐसे विनिर्दिष्ट और महत्वपूर्ण विद्या विषयों पर परामर्श दे जिन्हें विद्या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति को निर्दिष्ट किया जा सके, में से समितियां नियुक्त करना ;
- (vi) परामर्श समिति की विभिन्न केंद्रों और विभागों से संबंधित सिफारिशें, यदि कोई हों, और विशेषज्ञ और अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई ( जिसके अंतर्गत कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना भी है ) करना जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो, परन्तु इस खंड के अधीन की गई की कार्रवाई परिषद् द्वारा पुष्टि और केंद्रीय सरकार के समर्थन के अधीन होगी ।
- (vii) केंद्रों और विभागों के कार्यकलापों की आवधिक पुनर्विलोकन और समुचित कार्रवाई (जिसके अंतर्गत कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना भी है ) करने के लिए उपबंध करना ; बनाम
- (viii) संस्थान के पुस्तकालय की कृत्यों का आवधिक पुनर्विलोकन करना;
- (ix) संस्थान के भीतर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास या क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा करना और ऐसे अनुसंधान या शैक्षणिक विकास या क्रियाकलाप में लगे व्यक्तियों से रिपोर्ट मांगना;
- (x) कक्षाओं, कंप्यूटर और भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और आवासीय छात्रावासों का निरीक्षण करने का उपबंध करना ;
- (xi) संस्थान के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के साथ की गतिविधि की योजना बनाना;
- (xii) संस्थान के समुचित प्राधिकारियों द्वारा साबद्ध शर्तों के अधीन रहते हुए उसे अनुसरण यथा संस्तुत वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार तथा अन्य पारितोषिक देना ;
- (xiii) संस्थान के प्रभागों, केंद्रों और विभागों के सृजन या पुनर्गठन के संबंध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना;
- (xiv) विद्यमान प्रभागों, केंद्रों और उनके विभागों के उत्पादन के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
- (xv) देश के विभिन्न भागों में या विदेशों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ज्ञान के प्रसार के लिए कार्य समिति को सिफारिश करना;

9. शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष का आपात स्थिति में शक्तियों का प्रयोग :

2947 GI/13-2

यदि विद्या परिषद् के अध्यक्ष की राय में ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तत्काल कार्रवाई करने की अपेक्षा है वह इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देते हुए ऐसी कार्रवाई करेगा जो जैसा वह आवश्यक समझे और विद्या परिषद् की अगली बैठक में इसके अनुमोदन के लिए रिपोर्ट करेगा ।

10. वित्त समिति: (1) वित्त समिति के प्रत्येक सदस्य की पदावधि और रिक्ति को भरने की प्रक्रिया अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् के सदस्यों के लिए यथा उपबंधित होगी ।
- (2) वित्त समिति की किसी वर्ष में सामान्यता चार बैठकें होंगी जो अधिमानतः कार्य परिषद् की बैठक से पहले होंगी ।
- (3) किसी बैठक का कोरम में वित्त समिति के चार सदस्यों और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि (वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव) होंगे ।
- (4) निदेशक वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।
- (5) बैठकों के नोटिस, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करना और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन प्रथम परिनियम के उपबंध, जो कार्य परिषद् की बैठकों में लागू हैं का पालन वित्त समिति की बैठकों में जहां तक व्यवहार्य हो, किया जाएगा ।
- (6) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति कार्य परिषद् के समक्ष रखी जाएगी ।
- (7) कार्य परिषद् के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखे जाने से पूर्व सभी वित्तीय प्रस्तावों को वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

11. भवन और कार्य समिति- (1.) संस्थान के लिए एक भवन और कार्य समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) निदेशक-कार्य और भवन समिति के पीठासीन अधिकारी होगा ;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो निदेशक या उप सचिव के रैंक से कम न होगा;
- (ग) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
- (घ) रजिस्ट्रार-पदेन सदस्य सचिव;
- (ङ) डीन- संस्थान के डीनों में से चक्रानुक्रम आधार पर संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य;
- (च) केंद्रीय सरकार के या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी ख्यातिप्राप्त स्वायत्तशासी निकाय के सिविल और वैद्युत इंजीनियरी खंड, प्रत्येक में से एक विशेषज्ञ जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से कम न होगा।

(2) भवन और कार्य समिति के प्रत्येक सदस्य की पदावधि और रिक्ति की भर्ती वही होगी जो अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् के सदस्यों के यथा उपबंधित है;

(3) भवन और कार्य समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होंगी परंतु सामान्यतया एक वर्ष में चार बार से कम न होंगी;

(4) भवन और कार्य समिति की किसी बैठक के लिए कोरम तीन सदस्यों और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि का होगा । बैठकों के नोटिस, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करना और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन प्रथम परिनियमों के उपबंध जो कार्यपरिषद् की बैठक में लागू हों, का पालन भवन और कार्य समिति की बैठक में भी जहां तक व्यवहार्य हो, किया जाएगा ।

## 12. भवन और कार्य समिति की शक्तियाँ और कृत्य -

## (1) भवन और कार्य समिति -

- (i) कार्य परिषद् से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्राप्त करने के बाद कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन सभी बड़े कार्यों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी ।
- (ii) के पास संस्थान के अनुमोदित बजटीय प्रावधान के भीतर अनुरक्षण और मरम्मत से संबंधित छोटे कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने और उसे कराने की शक्ति होगी ।
- (iii) भवनों की लागत, अन्य पूंजीगत कार्य, छोटे कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण और अन्य समान कार्यों के प्राक्कलन तैयार करवाना ।
- (iv) डिजाइन की तकनीकी संवीक्षा सामग्री की विनिर्देश और अनुपालन, बनाने के लिए उत्तरदायी होगी जो आवश्यक हों ।
- (v) उपयुक्त ठेकेदारों के सूचीबद्ध करने और निविदाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी और जहाँ कहीं आवश्यक हो, विभागीय कार्यों के लिए निदेश देने की शक्ति होगी ।
- (vi) निविदा के अंतर्गत नियत न की गई दरों तथा ठेकेदारों से दावों और विवादों के निपटान की शक्ति होगी।

(2) यदि भवन और कार्य परिषद् के अध्यक्ष की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जिसमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक होगी तो ऐसे में वह इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देते हुए कार्रवाई करेगा और भवन और कार्य परिषद् और कार्य परिषद् की अगली बैठकों में इसकी सूचना देगा ।

(3) भवन और कार्य समिति ऐसे कृत्यों का भी अनुपालन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपी जाएं ।

## 13. अध्यक्ष की शक्तियाँ: अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त कार्य परिषद् के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात्:-

- (i) केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श से समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा अधिकथित ऐसी शर्तों और निबंधों के अधीन (प्रशिक्षण या शैक्षणिक काम काज के लिए) संस्थान के अधिकारियों और अन्य स्टाफ की विदेश यात्रा को अनुमोदित करेगा ;
- (ii) वह कुलाध्यक्ष की ओर से संस्थान और निदेशक के मध्य सेवा अनुबंध निष्पादित करेगा ;
- (iii) वह कार्य परिषद् की ओर से संस्थान और रजिस्ट्रार के मध्य सेवा अनुबंध को निष्पादित करेगा।

## 14. संस्थान के प्राधिकारियों को यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं :-

- (1) कार्य परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मानदेय, परिवहन सुविधाओं, कार्यालय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद सेवाओं के पात्र होंगे जो कार्य परिषद् द्वारा अधिकथित की जाए ।
- (2) कार्य परिषद् के सदस्य और संस्थान के अन्य प्राधिकारियों और अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित समितियों के सदस्य या कार्य परिषद् और अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्राधिकारियों और उनकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक फीस और कार्यालय सुविधाएं तथा अधीनस्थ कर्मचारिवृंद सुविधाओं के हकदार होंगे जो कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए ।

## 15. निदेशक और उसकी शक्तियां :-

- (1) संस्थान का निदेशक, कुलाध्यक्ष द्वारा संविदा आधार पर अधिनियम की धारा 22 में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।
- (2) निदेशक, निदेशक और संस्थान के मध्य हुए सेवा संविदा की निबंधनों और शर्तों अनुसूची में यथा निर्दिष्ट से शासित होगा ।
- (3) विशिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए बजट उपबंधों के अधीन रहते हुए निदेशक को समय समय पर कार्य परिषद् द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में व्यय करने की शक्ति होगी ।
- (4) निदेशक को प्रत्येक मद के लिए कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सीमा तक आवर्ती बजट को गठित करने वाले विभिन्न मदों के संबंध में निधियों का विनियोग करने की शक्ति होगी ;  
परंतु ऐसे विनियोजन से बजट में कोई वृद्धि और आगे आने वाले वर्षों में कोई देयता अंतर्वलित नहीं होगी :-  
परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक विनियोजन की सूचना यथा समय शीघ्र कार्य परिषद् को दी जाएगी ।
- (5) निदेशक को समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पांच हजार रूपए तक की सीमा की अप्रतिसंहरणीय हानि को और खोई हुई भंडार मदों या मरम्मत न हो सकने वाली सामान्य टूट फूट या गत प्रयोग होने के कारण अप्रतिसंहरणीय मूल्य की पच्चीस हजार रूपए तक की सीमा की अवसूलीय क्षति को बट्टे खाते में डालने की शक्ति होगी ।
- (6) निदेशक गत प्रयोग उपस्करों या भंडारण मदों, जिनको निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा पहचान की गई हो चिन्हित किया जाएगा, को संस्थान समीप के किसी शैक्षणिक संस्थान को ऐसी सीमा तक जो कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, दान करने की शक्ति होगी ।
- (7) निदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान में समय-समय पर अस्थायी आधार पर ऐसे शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद को, जिन्हें कार्य परिषद् द्वारा या विनिश्चित ऐसे पारिश्रमिक पर, जो एक वर्ष से अनधिक के लिए आकस्मिक से भुगतान होगा, नियोजित कर सकेगा ।
8. कार्य परिषद् द्वारा अधिकथित निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए निदेशक को देश में प्रशिक्षण या सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए संस्थान के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के दौरो का अनुमोदन करने की शक्ति होगी ।
9. निदेशक को केंद्रीय सरकार के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, मूल नियमों और अनुपूरक नियमों (एफआरएसआर) के प्रयोजन के लिए जहां तक वे संस्थान की कार्यवाई के संचालन के लिए लागू हों या उन्हें लागू किया जा सके विभागाध्यक्ष की शक्तियां होंगी ।
10. यदि किसी कारण से रजिस्ट्रार एक माह से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, रजिस्ट्रार के किसी कृत्य का कार्यभार संभाल सकेगा या संस्थान के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारिवृंद सदस्य को जो वह उपयुक्त समझे समनुदेशित कर सकेगा ।

परंतु यदि किसी समय रजिस्ट्रार की एक महीने से अधिक की अस्थायी अनुपस्थिति हो जाए तो कार्य परिषद्, यदि उपयुक्त समझे, एक महीने से अधिक की अवधि के लिए निदेशक को कार्य संभालने के लिए या रजिस्ट्रार के कार्य सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

11. निदेशक मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, अपनी ओर से लिखित में डीन में से किसी एक डीन को या ज्येष्ठतम आचार्य को कर्मचारिवृंद के यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय और चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए इस निमित्त बिल पर हस्ताक्षर करने और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।

12. निदेशक, संस्थान के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए अपने विवेक से, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

13. निदेशक, केंद्रीय सरकार और कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसमें निहित शक्तियों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

16. रजिस्ट्रार:-

(1) संस्थान का रजिस्ट्रार अध्यक्ष द्वारा गठित चयन समिति, जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें कार्य परिषद्, केंद्रीय सरकार तथा निदेशक, प्रत्येक द्वारा एक-एक सदस्य नामनिर्दिष्ट होगा, की सिफारिशों पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार एक नियत अवधि, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए संविदा आधार पर नियुक्त होगा तथा अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा।

(3) रजिस्ट्रार निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, -

(क) संस्थान के प्राधिकारियों के निमित्त कार्यालय में शासकीय पत्र व्यवहार करने के लिए;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों तथा इनमें से किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप-समितियों की बैठक आयोजित करने की सूचना जारी करने के लिए;

(ग) संस्थान के प्राधिकारियों तथा इनमें से किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए;

(घ) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का शासकीय पत्र व्यवहार करने के लिए;

(ङ.) संस्थान के निमित्त करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिए;

(च) संस्थान की सामान्य मुद्रा, निधियों, अभिलेखों, पुस्तकों तथा दस्तावेजों और ऐसी अन्य सम्पत्ति विशेष अभिरक्षा में रखना, जो कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(छ) संस्थान के भवनों, उद्यानों, कार्यालयों, कैंटीनों, कारों और अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, उपस्करों तथा अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए;

(ज) कार्य परिषद् द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने, इस प्रयोजन के लिए मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करने तथा उसकी या उसके प्रतिनिधियों की पैरवी करने या उन्हें प्रतिनियुक्त करने के लिए;

2947 GI/13-3

(झ) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट हों जिन्हें विद्या परिषद् और निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ;

17. नियुक्ति प्राधिकारी:-

संस्थान में की गई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित नियुक्ति प्राधिकारी होंगे अर्थात्:-

(क) निदेशक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और रजिस्ट्रार के लिए नियुक्त प्राधिकारी होगा ;

(ख) रजिस्ट्रार गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए नियुक्त प्राधिकारी होगा ।

18. अनुशासनिक प्राधिकारी:-

संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे, यथा :-

(क) निदेशक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा रजिस्ट्रार के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होगा ;

(ख) रजिस्ट्रार गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा रजिस्ट्रार के लिए अनुशासनिक अधिकारी होगा ।

(2) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

19. शैक्षणिक कर्मचारिवृंद:-

संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में सभी केंद्रों और विभागों के निदेशक, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, अनुसंधान अधिकारी तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक पद होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाएं ।

20. कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा:-

(1) संस्थान की कार्यपरिषद् द्वारा अधिकथित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को यदि उपलब्ध हो केवल आवासीय उपयोग के लिए संस्थान के अहाते के भीतर एक असज्जित मकान आबंटित किया जा सकेगा, जिसमें उसका निवास करना अपेक्षित होगा ।

(2) संस्थान का कोई कर्मचारी जिसे आवासीय उपयोग के लिए मकान का आबंटन किया गया है, से कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों पर अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित होगी ।

(3) कर्मचारी से, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त जल, विद्युत तथा कोई अन्य सेवा के लिए वास्तविक आधार या ऐसी दरों पर प्रभार वसूल किया जाएगा जो कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं ।

21. स्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें:-

संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होंगे, अर्थात् :-

(i) परिनियमों और शर्तों नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब तक अन्यथा अनुबंधित न हो, संस्थान ने पदों पर सभी नियुक्तियों एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर की जाएंगी, इस अवधि के बाद जो नियुक्त व्यक्ति यदि पुष्ट हो जाए, अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस मास के अंत तक जिसमें वह यथास्थिति, शैक्षणिक पदों या तकनीकी, अनुसंधानीय और प्रशासनिक पदों के लिए विहित अधिकतम आयु प्राप्त कर लेता हो तो वह पद को धारण करना जारी रखेगा;

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी को संस्थान के किसी कर्मचारी की परीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि तक जिसे वह उपयुक्त समझे, बढ़ाने का अधिकार होगा;

(ii) संस्थान के कर्मचारी वेतन के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय भत्तों के हकदार होंगे ।

(iii) संस्थान के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा नियमावली, 1944 के अनुसार उन पर तथा उनके कुटुम्ब पर हुए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।

(iv) संस्थान के कर्मचारियों के आवेदन संस्थान के बाहर नियुक्ति के लिए विद्या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में एक वर्ष में केवल तीन बार अग्रोषित किए जाएंगे ।

(v) संस्थान के कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत (छु या रि) के हकदार होंगे ।

22. छुट्टी: संस्थान के सभी कर्मचारियों की छुट्टी :- केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 द्वारा नियंत्रित होंगी और संस्थान प्रावकाश संस्थान नहीं होगा ।

23. स्थायी कर्मचारियों के लिए आचरण सिविल सेवाएं (आचार संहिता- संस्थान के कर्मचारी) नियमावली, 1964 के उपबंधों के अनुसरण में आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

24. निलंबन, शास्ति, अनुशासनिक प्रक्रियाएं:- संस्थान के कर्मचारिवृंद के निलंबन, शास्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाहियां केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) नियमावली, 1965 के उपबंधों के अनुसरण में होंगी तथा विनियमित की जाएंगी ।

25. त्याग पत्र:- पूर्वगामी उपबंधों में होते हुए भी, संस्थान के कर्मचारिवृंद का कोई सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा ;

(i) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को केवल तीन मास की लिखित सूचना देकर या इसके स्थान पर तीन मास के वेतन का भुगतान करने के पश्चात्;

(ii) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो केवल नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या इसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने के पश्चात्;

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उसी तारीख को प्रभावी होगा जिस तारीख को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया गया है ।

26. सेवा निवृत्ति:- कोई कर्मचारी बीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को, कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर, केंद्रीय सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्त हो सकेगा ।

(1) नियुक्ति प्राधिकारी को केंद्रीय सिविल सेवाएं (सेवानिवृत्ति) नियमावली, 1964 के उपबंधों के अनुसरण में कर्मचारी को अधिवर्षिता से पहले समयपूर्व सेवानिवृत्ति का अधिकार होगा ।

(2) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कोई कर्मचारी किसी शारीरिक या मानसिक अंग शैथिल्य के कारण सेवा से स्थायी तौर पर अक्षम हो जाए, के आधार पर सेवा निवृत्त हो सकेगा अर्थात् :-

(i) कर्मचारी उचित माध्यम द्वारा रजिस्ट्रार को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा और चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) यदि चिकित्सा प्राधिकारी किसी निम्न पद के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र देता है, तो कर्मचारी को, यदि इच्छुक हो, ऐसे पद पर केवल यदि उपलब्ध हो नियुक्त किया जा सकेगा और

(iii) चिकित्सा रिपोर्ट सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले की या उसके साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

27. अग्रिम धन- संस्थान के स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अग्रिम धन आहरण करने की सुविधा होगी जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है ।

28. पेंशन स्कीम :- संस्थान के कर्मचारी नई पेंशन स्कीम, 2004 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे ।

29. अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं के साधारण निबंधन और शर्तें :-

(1) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी ।

(2) ऐसे कर्मचारी की सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, होगी ।

30. प्रतिनियुक्ति :- संस्थान के बाहर लोकहित में, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त निकायों में जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर उपक्रम भी हैं, में (अस्थायी स्थानांतरण ) के लिए प्रतिनियुक्ति और यह कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन अनुज्ञेय है ।

31. छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार:- विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद्, ऐसी छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों का उपबंध कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

32. फीस - संस्थान निम्नलिखित फीस प्रभारित करेगा, अर्थात् :-

(क) कार्य परिषद् द्वारा यथावधारित अध्यापन और छात्रावास ;

(ख) अवधान जमा, जो छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं को संस्थान को अंतिम रूप से छोड़ते समय बकाया यदि कोई है, की कटौती के पश्चात्, प्रतिदेय होगी तथा कोई और जहां संस्थान को अंतिम रूप से छोड़ने के दो वर्ष के भीतर भी बकाया के लिए दावा नहीं किया जाता है तो अवधानधन को विद्यार्थी कल्याण कोष में जमा कर दिया जाएगा।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित फीस रियायत तथा छात्रवृत्ति संस्थान को लागू होगी।

33. छात्र छात्रावास तथा हॉल:- (1) संस्थान एक आवासीय संस्थान होगा जहाँ सभी विद्यार्थी और अनुसंधानविद इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा निर्मित छात्रावासों तथा हॉल में रहेंगे :

परन्तु आपवादिक मामलों में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, निदेशक किसी छात्र या विद्वान को उसके माता और पिता या अभिभावकों के साथ रहने की अनुमति दे सकेगा, किंतु यदि जहां किसी छात्र या विद्वान को ऐसी अनुमति दी गई है तो यथास्थिति ऐसे छात्र या विद्वान को ऐसी फीस किराया फीस का संदाय करना होगा जो वह छात्रावास में रहने के लिए फीस किराया देता।

(2) छात्रावास तथा हॉल में रहने वाला प्रत्येक निवासी इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा अधिकथित नियमों का अनुपालन करेगा।

(3) प्रत्येक छात्रावास या हॉल के लिए एक वार्डन और ऐसी संख्या में सहायक वार्डन और अन्य कर्मचारिबुंद रहेंगे, जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

(4) शैक्षणिक कर्मचारिबुंद के सदस्यों को निदेशक द्वारा वार्डन और सहायक वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(5) वार्डनों तथा सहायक वार्डनों को किराया मुक्त क्वार्टर के प्रकार के तत्स्थानी असज्जित क्वार्टर मिलेंगे जिसके वह सामान्यतः हकदार हैं।

(6) कार्य परिषद् छात्रावासों और निवास हॉलों के प्रबंध के लिए नियम अधिकथित करेगी।

34. सम्मानार्थ डिग्री प्रदान करना :- संस्थान विशिष्ट और उत्कृष्ट व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ योगदान के लिए सम्मानार्थ डिग्री प्रदान कर सकेगा :

परन्तु सम्मानार्थ डिग्री प्रदान करने के सभी प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा किए जाएंगे और वे कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित होंगे।

2947 GI/13-4

## अनुसूची-1

## संस्थान का निदेशक

[प्रथम परिनियम 15 का उप- परिनियम (2) देखें]

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है ) की धारा 22 और इस परिनियम के प्रथम परिनियम 15 के उप- परिनियम (2) (जिसे इसमें इसके पश्चात परिनियम कहा गया है ) के निबंधन में कुलाध्यक्ष ने नियुक्त व्यक्ति को तीन वर्ष के लिए संविदा पर संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और नियुक्त व्यक्ति ने इसके पश्चात् आने वाली निबंधन और शर्तों पर इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है ।

अब इसके पक्षकारों और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और यह विलेख उसका साक्षी है:-

- (1) यह सेवा करार संस्थान में स्थायी पुष्टि कर्मचारियों पर लागू समय-समय पर यथाप्रवृत्त अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों पर सभी समयों पर विषय-वस्तु में निष्पादित किया हुआ समझा जाएगा ।
- (2) नियुक्त व्यक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए करार के अधीन सेवा में रहेगा:

परंतु यदि नियुक्त व्यक्ति की आयु उसकी नियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर 65 वर्ष से कम है, उसकी सेवा उस वर्ष जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है, की 30 जून तक या उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी रहेगी ।

- (3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा जिसे उक्त अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों में उपबंधित शक्तियां और कर्तव्य होंगे ।

(4) नियुक्त व्यक्ति पूर्णकालिक संस्थान की सेवा में निरत रहेगा तथा आचरण नियम और उक्त अधिनियम या परिनियमों के अन्य उपबंधों के उक्त अधिनियम के आचरण नियमों के अधीन होगा । नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसकी नियुक्ति और कार्य के दौरान जिस पर उसे लगाया गया है, के दौरान या के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को गुप्त और गोपनीय समझा जाएगा तथा नियुक्त व्यक्ति सभी संबंधों में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन समझा जाएगा ।

(5) नियुक्त व्यक्ति का वेतन सेवा की अवधि के दौरान, निलंबन की किसी अवधि और बिना वेतन छुट्टी की किसी अवधि को छोड़कर, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए विशेष भत्ते 5000 रु. के साथ आरंभिक वेतन 75,000 रु., प्रतिमाह नियत हों और यदि नियुक्त व्यक्ति किसी समय प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर जाता है, उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके वेतन और भत्ते वे होंगे जो कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार उसे समय-समय पर यथा अनुज्ञेय भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि का आहरण करेगा ।

(6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में बनाए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में समय-समय पर बनाए जाने वाले ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए संस्थान के अभिदायी भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान में अंशदान करेगा और परिनियम के अनुसार स्थायी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय संस्थान के अंशदान के लिए भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य संस्थान या विश्वविद्यालय का कर्मचारी होने या और अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम या सामान्य भविष्य निधि सह-उपदान स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस संचित के हस्तांतरण के साथ संस्थान की तत्स्थानी स्कीम में सम्मिलित होगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी होने की दशा में, वह इस नियुक्ति की संविदा से ठीक पहले वाली अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा तथा इस संविदा के अधीन परिनियम के अनुसार संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति अपनी सेवा की अवधि के लिए इस स्कीम के लाभों का हकदार होगा।

(7) इससे पूर्व किसी भी बात के होते हुए भी, नियुक्त व्यक्ति जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, वेतनमान के पुनरीक्षण में हुई अभिवृद्धि तथा सेवानिवृत्ति के लाभों जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए संस्थान द्वारा प्रभावी किया जा सकेगा, सेवा जिससे वह समय के लिए जिसमें समय या आंशिक रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, नियुक्त व्यक्ति की सेवा की निबंधन और शर्तों में ऐसी अभिवृद्धि के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस विलेख के उपबंधों के विस्तार तक उपांतरित करने के लिए प्रभावी होगा।

(8) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य छुट्टी का हकदार होगा।

(9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के प्रांगण में सुसज्जित, लाइसेंस शुल्क मुक्त ऐसे कार्यालय सह-रिहायशी आवास का हकदार होगा जो संस्थान की कार्य परिषद् द्वारा मंजूर किया जाए।

(10) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में यथा उपबंधित चिकित्सा परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का हकदार होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिए नियुक्त अधिकारी की नियुक्ति को स्थानांतरण पर लोक हित में नियुक्ति समझते हुए केंद्रीय सरकार की केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम, 1979 के अधीन केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारी को यथा स्वीकार्य यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

यदि नियुक्त व्यक्ति के लिए संस्थान के कार्य के हित में यात्रा करना अपेक्षित है, वह संस्थान की केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम, 1979 में उपबंधित समय-समय पर प्रवृत्त यात्रा भत्ता और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार, नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

(12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा उनके लागत पर प्रकाशित पुस्तक और लेखों से प्राप्त राशि को प्रोत्साहन के रूप में उन्हीं के पास छोड़ दिया जाएगा ताकि वे इस दिशा में अपने कार्य को जारी रख सकें। कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार उन्हें परामर्श दाता के रूप में कार्य करने तथा उसके लाभ रखने की अनुमति होगी।

(13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय परन्तु सदैव संस्थान सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास के उसके मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य धनराशि का भुगतान करके कोई हेतु दर्शित किए बिना समाप्त कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

(14) नियुक्त व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत प्राप्त होगी और अपनी सुविधा के अधीन रहते हुए उक्त विभाग में शिक्षण तथा अनुसंधान में भाग लेंगे।

(15) किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपातरण और तत्समय प्रवृत्त उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्ष्य के रूप में प्रथमतः ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को संस्थान की कार्य परिषद् के अध्यक्ष ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान  
के लिए संस्थान की कार्य परिषद् के अध्यक्ष  
द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त

पता सहित साक्षियों के हस्ताक्षर की उपस्थिति में

पता सहित साक्षियों के हस्ताक्षर निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान  
की उपस्थिति में उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त

## अनुसूची-11

## संस्थान रजिस्ट्रार

[ प्रथम परिनियम 16 की उप- परिनियम (2) देखें ]

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 22 और इन परिनियमों के प्रथम परिनियम 16 का उप- परिनियम (2) (जिसे इसमें इसके पश्चात परिनियम कहा गया है ) के निबंधनों के अनुसार कुलाध्यक्ष ने नियुक्त अधिकारी को तीन वर्ष के लिए संविदा पर संस्थान रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया है और नियुक्त अधिकारी ने इसके पश्चात आने वाली निबंधन और शर्तों पर इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है ।

क्रमशः इसके पक्षकारों और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और यह विलेख उसका साक्षी है:-

(1) यह सेवा करार संस्थानों में स्थायी कर्मचारियों पर लागू समय-समय पर यथाप्रवृत्त अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों पर सभी समयों पर विषय-वस्तु में निष्पादित किया हुआ समझा जाएगा ।

(2) नियुक्त अधिकारी इस पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए करार के तहत सेवा में रहेगा;

यह कि यदि नियुक्त अधिकारी की आयु उसकी नियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर साठ वर्ष से कम है, उसकी सेवा उस वर्ष जिसमें नियुक्त अधिकारी सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है, की 30 जून तक या उसके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी रहेगी ।

(3) नियुक्त अधिकारी के पास उक्त अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंधित शक्तियां और कर्तव्य होंगे ।

(4) नियुक्त अधिकारी अपना समस्त समय संस्थान की सेवा में समर्पित करेगा तथा परिनियमों के उक्त अधिनियम के आचरण नियमों तथा अन्य उपबंधों के अध्यधीन होगा । नियुक्त अधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति और कार्य, जिसमें उसे लगाया गया है, के दौरान या उसके संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को गुप्त और गोपनीय समझा जाएगा तथा नियुक्त अधिकारी सभी प्रकार से भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अध्यधीन समझा जाएगा ।

(5) सेवा की अवधि के दौरान नियुक्त अधिकारी का वेतन, निलंबन की किसी अवधि और बिना वेतन छुट्टी की किसी अवधि को छोड़कर, भारतीय आय-कर के अध्यधीन वेतन बैंड-4, रु.37,400-67,000+ ग्रेड वेतन 10,000 रु. के वेतनमान में नियत किया जाएगा और यदि नियुक्त अधिकारी किसी समय प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर जाता है, उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके वेतन और भत्ते वे होंगे जो कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं और इसके अतिरिक्त नियुक्त अधिकारी संस्थान के नियमों के अनुसार उसे समय-समय पर यथा स्वीकार्य भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि का आहरण करेगा ।

29/17 GI/13-5

(6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त अधिकारी परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे उपांतरणों के अध्यक्षीन संस्थान के अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान में अंशदान करेगा और परिनियमों के अनुसार स्थायी कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य संस्थान के अंशदान के लिए भी हकदार होगा। नियुक्त अधिकारी के किसी अन्य संस्थान या विश्वविद्यालय का कर्मचारी होने या और अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम या सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में वह परिनियमों के अधीन यथा स्वीकार्य इस संचित निधि के हस्तांतरण के साथ संस्थान की समरूपी स्कीम में शामिल होगा। यदि नियुक्त अधिकारी संस्थान का कर्मचारी है, वह इस नियुक्ति की संविदा से ठीक पहले वाली अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम द्वारा शासित किया जाता रहेगा तथा इस संविदा के अधीन परिनियमों के अनुसार संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों की तरह अपनी सेवा की अवधि के लिए इस स्कीम के लाभों का हकदार होगा।

(7) इससे पूर्व किसी भी बात के होते हुए भी, नियुक्त अधिकारी जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, वेतनमान के पुनरीक्षण में हुई अभिवृद्धि तथा सेवानिवृत्ति के लाभों जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अध्यक्षीन प्रभावित किया जाए, सेवा जिससे वह तत्समय जुड़ा हो, को समग्र या आंशिक रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, नियुक्त अधिकारी की सेवा की निबंधन और शर्तों में ऐसी अभिवृद्धि के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस विलेख के उपबंधों के विस्तार तक उपांतरित करने के लिए प्रवर्तित होगा।

(8) नियुक्त अधिकारी परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-प्रायकाश कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य छुट्टी का हकदार होगा।

(9) नियुक्त अधिकारी संस्थान के प्रांगण में सुसज्जित, अनुज्ञप्ति फीस मुक्त ऐसे कार्यालय सह-रिहायशी आवास का हकदार होगा जो संस्थान की कार्य परिषद् द्वारा संस्वीकृत किया जाए।

(10) नियुक्त अधिकारी परिनियमों में यथा उपबंधित चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकार का हकदार होगा।

(11) नियुक्त अधिकारी को संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिए नियुक्त अधिकारी की नियुक्ति को स्थानांतरण पर लोक हित में नियुक्ति समझते हुए केंद्रीय सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम, 1979 के अधीन केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारी को यथा स्वीकार्य यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

यदि नियुक्त अधिकारी के लिए संस्थान के कार्य के हित में यात्रा करना अपेक्षित है, वह संस्थान के केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम, 1979 में उपबंधित समय-समय पर प्रवृत्त यात्रा भत्ता और वेतनमान का हकदार होगा। इसी प्रकार, नियुक्त अधिकारी संस्थान के नियमों के अनुसार गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

(12) नियुक्त अधिकारी की सेवा को इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कैलेंडर महीने का लिखित नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा, परन्तु सदा ही यह कि संस्थान इस नोटिस के बदले में नियुक्त अधिकारी को तीन महीने के उसके मूल वेतन की धनराशि के समतुल्य धनराशि का भुगतान करे। नियुक्त अधिकारी संस्थान को तीन कैलेंडर महीने का लिखित नोटिस देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

(13) किसी ऐसे मामले जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त अधिकारी उक्त राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी संशोधन और तत्समय प्रवृत्त उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी के रूप में प्रथमतः ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को संस्थान की कार्य परिषद् के अध्यक्ष ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और नियुक्त अधिकारी ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान  
के लिए संस्थान की कार्य परिषद् के अध्यक्ष  
द्वारा हस्ताक्षरित और प्रदत्त

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते की उपस्थिति में

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान  
की उपस्थिति में उक्त नियुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रदत्त

[सं. 15-22/2012-आरजीएनआईवाईडी (बो. II)]

डॉ. जी. एस. जी. अयंगर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS****(Department of Youth Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2013

**G.S.R. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by section 31 read with sub-section (1) of section 32 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (35 of 2012), the Central Government, with the prior approval of the Visitor, hereby frames the following First Statutes for the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These Statutes may be called the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-

(1) In these first Statutes, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012;

(b) "Appointing authority" means the authority referred to in first Statute 17 ;

(c) "authorities" and "officers" in relation to the Institute mean, respectively, the authorities, and officers of the Institute;

(d) "Building and Works Committee" means the Building and Works Committee of the Institute constituted under first Statute 11;

(e) "Centre" in relation to the Institute means a unit of the Institute engaged in the activities, as specified under these Statutes;

(f) "Disciplinary authority" means the authority referred to in first Statute 18 ;

(g) "Department" in relation to the Institute means a unit of the Institute engaged in activities, as specified under these Statutes;

(h) "Institute" means the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development;

(i) "programme" means any programme of the Institute;

(j) "Schedule" means the Schedule annexed to these Statutes;

(k) "Central Government" means the Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Authorities.-**The following shall be the authorities of the institute, namely:-

- (a) the Executive Council as established under section 12 of the Act;
- (b) the Academic Council as constituted under section 16 of the Act;
- (c) the Finance Committee as constituted under section 18 of the Act;
- (d) the Building and Works Committee as constituted under the first Statute 12.

**4. Executive Council and meetings thereof .-** (1) The bodies entitled to nominate or elect representative of the Executive Council referred to in clause (a) of first Statute 3 shall be invited by the Registrar to do so within a period not exceeding six weeks from the date on which such invitations are issued by him.

- (2) Casual vacancies of the Executive Council shall be filled up by following the procedure, specified under sub -Statute (1).
- (3) The Executive Council shall ordinarily meet four times during a calendar year.
- (4) Meetings of the Executive Council shall be convened by the Chairperson either on his own motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than four members of the Executive Council.
- (5) Atleast one half members including the representative of the Central Government shall be present to form a quorum for a meeting of the Executive Council and the representation of the Central Government shall be compulsory:

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day in the next week, at the same time and place or on such other day, time and place, as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the scheduled time for holding a meeting, the members present shall form the quorum.

- (6) All questions considered at the meetings of the Executive Council shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have a casting vote.
- (7) The Chairperson shall preside over every meeting of the Executive Council.
- (8) A written notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least fifteen days before the date of the meeting, specifying therein the place, date and time of such meeting:

Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Executive Council at short notice to consider urgent issues.

2947 GI/13-6

- (9) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or e-mail or fax, at the address of each member as recorded in the office of the Executive Council, and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
- (10) Agenda shall be circulated by the Registrar to all members at least fifteen days before the meeting.
- (11) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least one week before the meeting:  
Provided that the Chairperson may, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (12) The ruling of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.
- (13) The minutes of the proceedings of a meeting of the Executive Council shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Executive Council and the same along with any amendment suggested shall be placed before the Executive Council in its next meeting for confirmation and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson, they shall be recorded in the minute book.
- (14) The minute book shall be kept open for inspection of the members of the Executive Council at all times during office hours.
- (15) No matter concerned with finance shall be placed before the Executive Council unless the same has been considered by the Finance Committee.
- (16) No matter which should be first considered by the Building and Works Committee shall be placed before the Executive Council unless the same has been considered by the Building and Works Committee after obtaining the administrative approval of the Executive Council.
- (17) If a member of the Executive Council fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Council, he shall cease to be a member of the Council.

5. **Powers of the Executive Council** .— In addition to the powers provided under sub-section (1) of section 15 of the Act , the Executive Council shall be empowered -

- (a) to make, alter, modify or rescind the Statutes as provided under the Act;
- (b) to make, alter, modify or rescind all or any of the Ordinances as provided under the Act and Statutes on the recommendation of the Finance Committee or the Academic Council, subject to the condition that such making, modification and rescinding shall not be in contravention of the Act and the Statutes;
- (c) to establish new divisions, centres and departments as deemed necessary for the effective functioning of the institute and re-name existing divisions, centres and departments for its effective performance, with the prior approval of the Central Government.

**6. Authentication of orders of Executive Council.-**

All orders and decisions of the Executive Council shall be authenticated by the signature of the Director or Registrar or any person authorised by the Executive Council in this behalf.

**7. Academic Council.-**

- (1) The Academic Council shall be the principal academic and programme advisory body of the Institute.
- (2) The term of office and filling up of vacancies of every member of the Academic Council shall be as provided for the members of the Executive Council under the Act.
- (3) The bodies entitled to nominate or elect representatives of the Academic Council shall be invited by the Registrar to do so within a period not exceeding six weeks from the date on which such invitations are issued by him.
- (4) The Academic Council shall meet as often as necessary, but ordinarily not less than two times during a calendar year.
- (5) Meetings of the Academic Council shall be convened by the Chairman of the Academic Council either on his own motion or on a requisition signed by not less than one fifth of the members of the Academic Council.
- (6) Requisition meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is given and the requisition meeting shall be convened by the Chairman of the Academic Council on a convenient date and time.
- (7) One half of the total number of members of the Academic Council including the representative of the Central Government shall form a quorum for a meeting of the Academic Council.
- (8) The Director shall preside over every meeting of the Academic Council.
- (9) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Academic Council at least fifteen days before the meeting:  

Provided that the Chairman of the Academic Council may permit inclusion of any item for which due notice has not been given.
- (10) Notwithstanding the provisions of sub – Statute (5) above the Director may call for an emergency meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent or special issues.
- (11) The ruling of the Chairman of the Academic Council with regard to all questions of procedure shall be final.

(12) The minutes of the proceedings of a meeting of the Academic Council shall be drawn up by the Registrar and circulated to all the members of Academic Council.

(13) The minutes, along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Academic Council and after the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Academic Council, they shall be recorded in a minute book, which shall be kept open for inspection of the members of the Academic Council and the Executive Council at all times during office hours.

**8. Powers of the Academic Council.** - Subject to the provisions of the Act, the Academic Council shall have the power to:-

- (i) frame, approve and revise the curricula and syllabi for the courses of studies.
- (ii) approve content of programmes and activities recommended by the Advisory Councils;
- (iii) make appropriate provisions for the conduct of examinations, appointment of examiners, moderators, tabulators and other matters relating to the examinations;
- (iv) declare the results of the examinations or to appoint committees or officers to do so and to make recommendations to the Executive Council regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
- (v) appoint committees from amongst the members of the Academic Council, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific and important academic matters, as may be referred to any such committee appointed by the Academic Council;
- (vi) consider the recommendations of the Advisory Committee, if any, attached to various centres and departments and that of expert and other committees and take such action (including the making of recommendations to the Executive Council) as warranted by the circumstances of each case, provided that the action taken under this clause shall be subject to ratification by Executive Council and approved by the Central Government;
- (vii) make provision for periodical review of the activities of the centres and departments and take appropriate action (including the making of recommendations to the Executive Council);
- (viii) make periodical review of the functioning of the Library of the Institute;
- (ix) Make periodical review of research and academic development or activity within the Institute and seek reports on such research or academic development or activity from the persons engaged therein;
- (x) provide for the inspection of the class rooms, computer and language laboratories, library and the residential hostels;
- (xi) plan co-curricular activities of the students of the Institute;
- (xii) award stipends, scholarships, medals and prizes, and other awards, as recommended by the appropriate authorities of the Institute in accordance with such conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) make recommendations to the Executive Council with regard to the creation or restructuring of divisions, centres and departments of the Institute;

- (xiv) make recommendation to the Executive Council with regard to abolition of existing divisions, centres and departments thereof;
- (xv) make recommendations to the Executive Council to disseminate knowledge through distance learning mode to various parts of the country or abroad.

**9. Chairman of Academic Council to exercise powers in emergency.—**

If, in the opinion of the Chairman of the Academic Council, any emergency has arisen which requires immediate action, he may in intimation of the same to the Central Government take such action as he deems necessary and shall report the same for approval to the Academic Council in its next meeting.

**10. Finance Committee. — (1)** The term of office and filling up of vacancies of every member of the Finance Committee shall be as provided for the members of the Executive Council under the Act.

- (2) The Finance Committee shall meet ordinarily four times in a year, preferably before the meeting of the Executive Council.
- (3) Four members of the Finance Committee and the representative of the Central Government (Financial Adviser and Joint Secretary) shall form a quorum for a meeting.
- (4) The Director shall preside over the meetings of the Finance Committee.
- (5) The provisions in these first Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Executive Council shall be followed, so far as practicable may be, in connection with the meetings of the Finance Committee.
- (6) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be placed before the Executive Council.
- (7) All financial proposals shall be placed before the Finance Committee prior to being placed before the Executive Council for consideration and approval.

**11. Building and Works Committee. - (1)** There shall be a Building and Works Committee for the Institute, consisting of the following members, namely:-

- (a) the Director - Presiding Officer of the Building and Works Committee;
  - (b) one member nominated by the Central Government not below the rank of Director or Deputy Secretary;
  - (c) one member nominated by the Executive Council;
  - (d) Registrar - ex-officio Member Secretary;
  - (e) Dean - Member to be nominated by the Director of the Institute on rotation from among the Deans of the Institute; and
  - (f) one expert, not below the rank of Superintending Engineer, each from Civil and Electrical Engineering Wing of Central Government or any autonomous body of repute nominated by Chairperson - Member.
- (2) The term of office and filling up of vacancies of every member of the Building and Works Committee shall be as provided for the members of the Executive Council under the Act.
  - (3) The Building and Works Committee shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times a year.
  - (4) Three members and the representative of the Central Government shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.

2947 GI/13-7

The provisions in these Statutes regarding notice of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meeting of the Executive Council shall be followed, as far as practicable may be in connection with meetings of the Building and Works Committee also.

- (5) A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Executive Council.

**12. Powers and Functions of Building and Works Committee. -**

- (1) The Building and Works Committee shall, -

- (i) under the directions of the Executive Council, be responsible for construction of all major works, after receiving necessary administrative approval and expenditure sanction from the Executive Council;
- (ii) have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repair within the approved budgetary provision of the Institute;
- (iii) cause to be prepared estimates of cost of buildings and other capital works minor works, repairs, maintenance and the like;
- (iv) be responsible for making technical scrutiny of the design, estimates and specifications of the material, as may be considered necessary;
- (v) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works wherever necessary;
- (vi) have the power to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors.

- (2) If, in the opinion of the Chairman of the Building and Works Committee, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, he shall in intimation of the same to the Central Government take such action and report the same to the Building and Works Committee and the Executive Council at their next meeting.

- (3) The Building and Works Committee shall also perform such functions and exercise such powers as may be entrusted to it by the Executive Council from time to time.

**13. Powers of Chairperson. -** In addition to the powers provided under the provisions of the Act, the Chairperson of the Executive Council shall have the following powers, namely:-

- (i) he shall in prior consultation with the Central Government, approve the foreign visit of the officers and other staff of the Institute for training or academic pursuits subject to such terms and conditions as may be laid down by the Executive Council from time to time;
- (ii) he shall execute the contract of service between Institute and the Director on behalf of the Visitor;
- (iii) he shall execute the contract of service between Institute and the Registrar on behalf of the Executive Council.

**14. Travelling allowances and other facilities to members of authorities of Institute. -**

- (1) The Chairperson and Vice-Chairperson of Executive Council are entitled for honorarium, transportation facilities, office and subordinate staff services as laid down by Executive Council.
- (2) Members of the Executive Council and other authorities of the Institute and members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Executive Council and other authorities shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees, and office facilities and subordinate staff services, as laid down by the Executive Council from time to time.

**15. Director and his powers. -**

- (1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis in accordance with the provisions contained in section 22 of the Act.
- (2) The Director shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Director, as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Executive Council from time to time.
- (4) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit specified by the Executive Council for each item:

Provided that such appropriation shall not involve any increase in the budget and any liability in future years:

Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Executive Council.

- (5) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses up to a limit of five thousand rupees and of irrecoverable value of store items lost or rendered unserviceable, due to normal wear and tear or obsolete, up to a limit of twenty-five thousand rupees, subject to such stipulations as may be made by the Executive Council from time to time.
- (6) The Director shall have the power to donate obsolete equipment or store items, as identified by a committee constituted for this purpose by the Director, to any educational institution in the vicinity of the Institute up to such limits as may be decided by the Executive Council from time to time.
- (7) The Director shall, with the prior approval of the Central Government, have the power to employ academic and non-academic staff in the Institute from time to time on temporary basis who may be paid from contingencies for not more than one year on such remuneration as may be decided by the Executive Council.

- (8) The Director shall have the power to approve visits of officers and other staff of the Institute for training or conferences and academic pursuits within the country, subject to such terms and conditions as may be laid down by the Executive Council.
- (9) The Director shall have the power of a Head of Department for purposes of the Delegation of Financial Powers Rules, the Fundamental Rules and the Supplementary Rules (FRSR) of the Central Government, in so far as they are applicable or may be made applicable for the conduct of the business of the Institute.
- (10) If for any reason the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any faculty member or member of staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:  
Provided that if at any time the temporary absence of the Registrar exceeds one month, the Executive Council may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the function of the Registrar, for a period exceeding one month.
- (11) The Director may, during his absence from headquarters, specifically authorise in writing, one of the Deans or the senior most Professor present to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and counter-sign bills on his behalf.
- (12) The Director may, at his discretion, constitute such committees, as he may consider appropriate for smooth functioning of the Institute.
- (13) The Director may, with the prior approval of the Central Government and the Executive Council delegate any of his powers, authorities or responsibilities vested in him by virtue of the Act and Statutes to one or more members of Academic or administrative staff of the Institute.

**16. Registrar. -**

- (1) The Registrar of the Institute shall be appointed on contract basis on the recommendation of a Selection Committee constituted by Chairperson consisting of three members one each to be nominated by the Executive Council, the Central Government and the Director.
- (2) The Registrar shall be appointed for a fixed term of not exceeding three years on contract basis and shall be governed by the terms and conditions of service as specified in Schedule II.
- (3) The Registrar shall be responsible, -
  - (a) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the Institute;
  - (b) to issue notices to convene meetings of the authorities of the Institute and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities;
  - (c) to keep the minutes of the meetings of all the authorities of the Institute and of all the committees and sub-committees appointed by any of these authorities;
  - (d) to conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;
  - (e) to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the Institute;
  - (f) to hold in special custody the common seal, funds, records, books and documents and other such property of the Institute, as specified by the Executive Council;

**14. Travelling allowances and other facilities to members of authorities of Institute. -**

- (1) The Chairperson and Vice-Chairperson of Executive Council are entitled for honorarium, transportation facilities, office and subordinate staff services as laid down by Executive Council.
- (2) Members of the Executive Council and other authorities of the Institute and members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Executive Council and other authorities shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, sitting-fee for attending the meetings of the authorities and their Committees, and office facilities and subordinate staff services, as laid down by the Executive Council from time to time.

**15. Director and his powers. -**

- (1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis in accordance with the provisions contained in section 22 of the Act.
- (2) The Director shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Director, as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Executive Council from time to time.
- (4) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit specified by the Executive Council for each item:

Provided that such appropriation shall not involve any increase in the budget and any liability in future years:

Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Executive Council.

- (5) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses up to a limit of five thousand rupees and of irrecoverable value of store items lost or rendered unserviceable, due to normal wear and tear or obsolete, up to a limit of twenty-five thousand rupees, subject to such stipulations as may be made by the Executive Council from time to time.
- (6) The Director shall have the power to donate obsolete equipment or store items, as identified by a committee constituted for this purpose by the Director, to any educational institution in the vicinity of the Institute up to such limits as may be decided by the Executive Council from time to time.
- (7) The Director shall, with the prior approval of the Central Government, have the power to employ academic and non-academic staff in the Institute from time to time on temporary basis who may be paid from contingencies for not more than one year on such remuneration as may be decided by the Executive Council.

- (8) The Director shall have the power to approve visits of officers and other staff of the Institute for training or conferences and academic pursuits within the country, subject to such terms and conditions as may be laid down by the Executive Council.
- (9) The Director shall have the power of a Head of Department for purposes of the Delegation of Financial Powers Rules, the Fundamental Rules and the Supplementary Rules (FRSR) of the Central Government, in so far as they are applicable or may be made applicable for the conduct of the business of the Institute.
- (10) If for any reason the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any faculty member or member of staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:  
Provided that if at any time the temporary absence of the Registrar exceeds one month, the Executive Council may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the function of the Registrar, for a period exceeding one month.
- (11) The Director may, during his absence from headquarters, specifically authorise in writing, one of the Deans or the senior most Professor present to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and counter-sign bills on his behalf.
- (12) The Director may, at his discretion, constitute such committees, as he may consider appropriate for smooth functioning of the Institute.
- (13) The Director may, with the prior approval of the Central Government and the Executive Council delegate any of his powers, authorities or responsibilities vested in him by virtue of the Act and Statutes to one or more members of Academic or administrative staff of the Institute.

#### 16. Registrar. -

- (1) The Registrar of the Institute shall be appointed on contract basis on the recommendation of a Selection Committee constituted by Chairperson consisting of three members one each to be nominated by the Executive Council, the Central Government and the Director.
- (2) The Registrar shall be appointed for a fixed term of not exceeding three years on contract basis and shall be governed by the terms and conditions of service as specified in Schedule II.
- (3) The Registrar shall be responsible, -
  - (a) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the Institute;
  - (b) to issue notices to convene meetings of the authorities of the Institute and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities;
  - (c) to keep the minutes of the meetings of all the authorities of the Institute and of all the committees and sub-committees appointed by any of these authorities;
  - (d) to conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;
  - (e) to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the Institute;
  - (f) to hold in special custody the common seal, funds, records, books and documents and other such property of the Institute, as specified by the Executive Council;

- (g) to safeguard and maintain the buildings, gardens, offices, canteens, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the Institute;
- (h) to represent the Institute when authorised by the Executive Council in suits or proceedings by or against the Institute, sign power of attorney and plead or depute his or her representatives for this purpose;
- (i) to perform such other duties as may be specified in the Statutes, Ordinances, or Regulations, as may be specified by the Executive Council, Academic Council and the Director from time to time.

#### 17. Appointing authority.-

The following shall be appointing authority with respect to the appointments made with Institute, namely:-

- (a) the Director shall be the appointing authority for academic staff and Registrar;
- (b) the Registrar shall be the appointing authority for non-academic staff.

#### 18. Disciplinary authority.-

(1) The following shall be the disciplinary authority with respect to the disciplinary actions taken against the employees of the Institute, namely:-

- (a) the Director shall be the disciplinary authority for the academic staff and Registrar;
- (b) the Registrar shall be the disciplinary authority for the non-academic staff.

(2) The Disciplinary action shall be taken in accordance with the provisions contained in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

#### 19. Academic staff. -

The academic staff of the Institute shall be Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor in all the centres and departments, Research Officer and such other academic posts as may be decided by the Executive Council, with the prior approval of the Central Government from time to time.

#### 20. Residential accommodation for employees. -

- (1) Every employee of the Institute may be allotted an unfurnished house within the campus of the Institute for residential use only, if available, in which he shall be required to reside, subject to such conditions as may be laid down by the Executive Council of the Institute.
- (2) An employee of the Institute, who has been allotted a house for residential use, shall be charged license fee at the rate as fixed by the Executive Council from time to time.
- (3) In addition to the license fee, water, electricity and charges for any other service rendered shall be recovered from an employee on actual basis or at such rates as may be determined by the Executive Council from time to time.

2947 G2/13-8

**21. General terms and conditions of service of permanent employees.-** The permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:-

- (i) subject to the provisions of the Statutes and Recruitment Rules, unless otherwise stipulated, all appointments to posts under the Institute shall be made on probation for a period of one year after which period the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he attains the prescribed maximum age for teaching posts or for technical, ministerial and administrative posts, as the case may be:

Provided that the appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any employee of the Institute for such periods as it may deem fit;

- (ii) the employees of the Institute shall be entitled to allowances in addition to pay, as admissible to Central Government employees.
- (iii) the employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families as per Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (iv) The application of the employees of the Institute shall be forwarded for employment outside the Institute only three times in a year in accordance with the procedure specified by the Academic Council.
- (v) The employees of the Institute will be entitled to Leave Travel Concession (LTC) as admissible to Central Government employees.

**22. Leave.-** The leave for all the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Leave) Rules 1972 and the Institute shall not be a vacation Institute.

**23. Code of conduct for permanent employees.-** The employees of the Institute shall be governed by the code of conduct in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

**24. Suspension, penalties, disciplinary proceedings.-** The suspension, penalties and disciplinary proceedings of the staff of the Institute shall be in accordance with and regulated by the provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

**25. Resignation.-** Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, a member of the staff of Institute may resign,-

- (i) if he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to his appointing authority, or by paying three months' salary in lieu thereof;
- (ii) if he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority.

**26. Retirement.-** At any time after an employee has completed twenty years of qualifying service, he may, by giving notice, of not less than three months, in writing to the appointing authority, retire from service as per the terms and conditions laid down by the Central Government, from time to time, for its own employees.

(1) The appointing authority has the right to retire the employee before superannuation as premature retirement in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Retirement) Rules, 1964.

(2) An employee can retire from service on account of any bodily or mental infirmity that permanently incapacitates him from service, subject to the following conditions, namely:-

(i) the employee shall submit his application to the Registrar through proper channel and produce a medical certificate from medical authority, as may be specified by the ordinances;

(ii) if the medical authority grants fitness certificate for a lower post, the employee, if willing, may be appointed to such post only if available; and

(iii) the medical report should precede or coincide with the date of retirement.

**27. Advances.-** The permanent employees of the institute shall be having facility of drawing advances for various purposes as admissible to Central Government employees.

**28. Pension scheme.-** The employees of the Institute shall be regulated in accordance with the provisions of the New Pension Scheme, 2004.

**29. General terms and conditions of services of temporary employees.-** (1) The services of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice of one month in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee.

(2) The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment.

**30. Deputation.-** Deputation is permissible for appointment (temporary transfer) in public interest outside the Institute, to the Central Government, State Government, Universities or autonomous bodies including Public Sector Undertaking and subject to the terms and conditions specified by the Executive Council.

**31. Scholarships, fellowships, medals and prizes.-** The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council, provide for such scholarships, fellowships, medals and prizes, as it may consider necessary.

**32. Fees .-** The Institute shall charge the following fees, namely:-

- (a) tuition and the hostel fees, as determined by the Executive Council;
- (b) caution deposit, which shall be refundable to students, scholars and fellows at the time of finally leaving the Institute, after deduction of relevant dues, if any and where no claim for a refund is received within two years of finally leaving the Institute, the caution money shall be credited into the Student Welfare Fund;
- (c) fee concession and scholarships, as may be determined by the Central Government from time to time shall be applicable to the Institute.

**33. Students hostels and halls. -** (1) The Institute shall be a residential institution and all students and research scholars shall reside in the hostels and halls of residence built by the Institute for the purpose:

Provided that in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Director may permit a student or scholar to reside with his parent or guardian, but where any such permission is accorded to a student or scholar, such student or scholar, as the case may be, shall be liable for the payment of such fee rent as he would have been liable for the payment of fee rent had he resided in the hostel.

- (2) Every resident in the hostels and halls shall conform to rules laid down by the Institute for the purpose.
- (3) For each hostel or hall of residence there shall be a Warden and such number of Assistant Wardens and other staff, as may be determined by the Executive Council from time to time.
- (4) The members of the academic staff shall be appointed by the Director as Warden and Assistant Warden.
- (5) Wardens and Assistant Wardens shall be entitled to rent free unfurnished quarters corresponding to the type of quarters to which they are normally entitled.
- (6) The Executive Council shall lay down rules for the management of the hostels and halls of residence.

**34. Conferment of honorary degrees.-** The Institute may confer honorary degrees to exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields:

Provided that all proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council and shall be approved by the Executive Council.

## SCHEDULE - I

## DIRECTOR OF THE INSTITUTE

[See sub-Statute- (2) of first Statute 15]

WHEREAS in terms of section 22 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (hereinafter called the Act) and sub-Statute (2) of first Statute 15 of these Statutes (hereinafter called Statutes), the Visitor has been pleased to appoint the appointee as the Director of the Institute on contract for three years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

(1) This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.

(2) The appointee shall be on service under the agreement for a period of three years with effect from date of joining the post:

Provided that if the appointee on conclusion of the period of his appointment is below sixty-five years of age, his service shall continue till 30<sup>th</sup> June of the year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of sixty-five years whichever is earlier.

(3) The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute with powers and duties provided in the said Act, Statutes, and Ordinances.

(4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the conduct rules and other provisions of the said Act of the Statutes. Any information obtained by appointee during or in connection with his appointment and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Official Secrets Act, 1923.

(5) During the period of his service, except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be certified subject to the Indian Income-tax to an initial pay of Rs75, 000/= with special allowances of Rs. 5,000/= per month that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Executive Council and in addition, the appointee shall draw allowances like dearness allowance, city compensatory allowance, etc., as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

(6) During his service under these presents the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employer of any other Institute or University or and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General

2947 GI/13-9

Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract of appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the Institutes as per the Statutes.

(7) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall, unless otherwise decided by the Institute, be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

(8) The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.

(9) The appointee shall be entitled to furnished, free of license fee, an office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Executive Council of the Institute.

(10) The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.

(11) The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979 of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.

If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979 of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

(12) Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Executive Council from time to time.

(13) The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute any time by three calendar months' notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned, provided always the institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months' notice in writing.

(14) The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his speciality and take part in teaching and research in the said Department subject to his convenience.

(15) In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made there under for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Executive Council of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has herein to set his hand.

Signed and delivered for the  
Rajiv Gandhi National Institute of Youth  
Development, by the Chairperson,  
Executive Council of the Institute

In the presence of Signature of Witnesses with addresses

Signed and delivered by the said appointee in the presence of Signature of... .. Witnesses with addresses Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development .

## SCHEDULE – II

### REGISTRAR OF THE INSTITUTE

[See sub-Statute- (2) of first Statute 16]

WHEREAS in terms of section 22 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (hereinafter called the Act) and sub-Statute (2) of first Statute 16 of these Statutes (hereinafter called Statutes), the Visitor has been pleased to appoint the appointee as the Registrar of the Institute on contract for three years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- (1) This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- (2) The appointee shall be on service under the agreement for a period of three years with effect from date of joining the post:

Provided that if the appointee on conclusion of the period of his appointment is below sixty years of age, his service shall continue till 30<sup>th</sup> June of the year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of sixty years whichever is earlier.

- (3) The appointee have powers and duties provided in the said Act, Statutes, and Ordinances.
- (4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the conduct Rules and other provisions of the said Act of the Statues. Any information obtained by appointee during or in connection with his appointment and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Official Secrets Act, 1923.

2907 GZ/13-10

(5) During the period of his service, except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be certified subject to the Indian Income-tax shall be fixed in pay structure of pay band -4, Rs.37,400-67,000 plus grade pay of Rs.10,000 and if at any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Executive Council and in addition, the appointee shall draw allowances like dearness allowance, city compensatory allowance, etc., as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

(6) During his service under these presents the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employer of any other Institute or University or and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract of appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the Institutes as per the Statutes.

(7) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall, unless otherwise decided by the Institute, be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

(8) The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.

(9) The appointee shall be entitled to furnished, free of license fee, an office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Executive Council of the Institute.

(10) The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.

(11) The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979 of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.

If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979 of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

(12) The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute any time by three calendar months' notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned, provided always the institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months' notice in writing.

(13) In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made there under for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Executive Council of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has herein to set his hand.

Signed and delivered for the  
Rajiv Gandhi National Institute of Youth  
Development, by the Chairperson,  
Executive Council of the Institute

In the presence of Signature of Witnesses with addresses

Signed and delivered by the said appointee in the presence of Signature of..... Witnesses with  
addresses Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.

[No. 15-22/2012-RGNIYD (Vol. II)]  
Dr. G. S. G. AYYANGAR, Jt. Secy.